भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

03.02.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 309 का उत्तर

देश में रेल परियोजनाएँ

309. श्री नीरज डांगीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में चल रही रेल परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उनका योजना-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर राजस्थान में समय-सीमा से पीछे चल रही परियोजनाओं की "संख्या कितनी है", इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

देश में रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 03.02.2023 को राज्य सभा में श्री नीरज डांगी के अतारांकित प्रश्न सं.309 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में **विवरण।**

(क): रेल परियोजनाओं को क्षेत्र-वार/योजना-वार/राज्य-वार नहीं बल्कि जोन-वार स्वीकृत किया जाता है, क्योंकि भारतीय रेल नेटवर्क विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ हो सकता है।

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 49,323 कि.मी. कुल लंबाई और 7.33 लाख करोड़ रु. लागत की 452 रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (183 नई लाइन, 42 आमान परिवर्तन और 227 दोहरीकरण), योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 11,518 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2022 तक 2.35 लाख करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

लागत, व्यय, और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance (Budget) >Rail Budget/Pink Book(Year) >Railway wise works, Machinery & Rolling Stock Programme(RSP) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

(ख): राजस्थान राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 5,069 कि.मी. कुल लंबाई की 28 रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (11 नई लाइन, 5 आमान परिवर्तन और 12 दोहरीकरण), जिनकी लागत 59,271 करोड़ रु. है, योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1195 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2022 तक 11,207 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

वर्ष 2014 से, परियोजनाओं के बजट आबंटन और अनुरूपी कमीशनिंग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्थान राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन को 2009-14 के दौरान 682 करोड़ रु. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2,951 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो कि वर्ष 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट आबंटन से 333% अधिक है। इन आबंटनों में, वित्त वर्ष 2019-20 में 4,686 करोड़ रु. (वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 587% अधिक), वित्त वर्ष 2020-21 में 4,582 करोड़ रु. (वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 572% अधिक), और वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 6,006 करोड़ रु. (वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 781% अधिक) की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष

2022-23 हेतु इन परियोजनाओं हेतु 7,565 करोड़ रु. का अब तक का सर्वाधिक बजट परिव्यय प्रदान किया गया है, जो कि वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय (682 करोड़ रु. प्रति वर्ष) से 1009% अधिक है।

वर्ष 2014-22 के दौरान, राजस्थान राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 2322 कि.मी. लंबाई (176 कि.मी. नई लाइन, 771 कि.मी. आमान परिवर्तन और 1,375 कि.मी. दोहरीकरण परियोजनाएं) को 290.25 कि.मी. प्रति वर्ष की औसत दर से कमीशन कर दिया गया है, जो 2009-14 के दौरान की गई कमीशनिंग से 82% (159.6 कि.मी प्रति वर्ष) अधिक है।

किसी रेल परियोजना (परियोजनाओं) का समय पर पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओँ में राज्य सरकार द्वारा लागत की हिस्सेदारी जमा कराना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना (परियोजनाओं) क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना (परियोजनाओं) के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त बाधाओं के साथ, परियोजनाओं को शीघ्र निष्पादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग): रेल परियोजनाओं की शीध्र स्वीकृति और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 से कमीशनिंग की दर में काफी वृद्धि हुई है।

*****